

# शिक्षा में प्रवेश एवं मूल्यांकन व्यवस्था की भूमिका



**RAJEEV KUMAR  
M.A (EDUCATION) NET**

शिक्षा किसी राष्ट्र या समाज की प्राणवायु है। उसकी प्रेरणा है उसकी ऊर्जा है और किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसका द्वारा हासिल किये गये। सर्वशिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000–2001 से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया। यह केन्द्र सरकार की सर्वाधिक प्रमुख एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है जिसका उद्देश्य है—

सार्वभौमिक पहुच एवं नामांकन, प्रारम्भिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने, अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नये स्कूल खोला जाना, तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाये प्रदान करना, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना नियमित अध्यापकों का प्रशिक्षण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं वर्दियां तथा अधिगम स्तरों/परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना, शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया जिसके अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों (2001 में 205 मिलियन अनुमानित) की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य सन् 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। इस शिक्षा अभियान के दृष्टिकोण एवं मानदण्डों में प्रारम्भिक शिक्षा के विजन को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार से निर्देशित हैं—

शैक्षिक प्रबन्धक की अभिसारी एवं एकीकृत प्रणाली आरटीई कानून के पालन हेतु पूर्व-अपेक्षा है। सभी राज्यों को उस दिशा में उतनी तेजी से बढ़ना है, जितना व्यवहार्य हो।

आज भी हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग निरक्षर है। जिसका प्रमुख कारण निर्धनता है। तो कुछ लोग किसी समसया के चलते और कुछ लोगों में पढ़ाई की निरसता के कारण वे इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लाखों की संख्या में शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, उन्हें दर-दर की साम्यता का अर्थ केवल समान अवसर उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें पिछड़े वर्ग, अ.जा., अ.ज.जा., अल्पसंख्यक, भूमिहीन गरीब मजदूर के बच्चे, विशिष्ट वर्ग के बच्चे आदि अवसर का लाभ ले सकते हैं।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986/92 में बताये गये परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को देखना अर्थात् महिलाओं को स्थिति में बुनियादी परिवर्तन हेतु हस्तक्षेप। से अभिभावकों, अध्यापकों शैक्षिक प्रशासकों एवं अन्य हिस्सेदारों पर दण्डात्मक प्रक्रियाओं पर बल देने के बजाये नैतिक बाध्यता लगाना।

ठोकरे खानी पड़ रही है। विकसित देशों का प्रचार-प्रसार अधिक है। वहां अधिकांश लोग शिक्षित हैं। इस अभियान में सरकार के योगदान के साथ-साथ हमें व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ना होगा। मेरी कोशिश ये होगी

कि मैं कम से कम दो लोगों को पूर्ण साक्षर बना सकूँ और मेरी तरह प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति इस तरह का संकल्प ले तो सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले सन् 1947 में ही शिक्षा सुविधा को कार्यान्वित करने के लिए संविधान द्वारा सरकार को 10 वर्ष का समय भी दिया गया था जिसमें देश के सभी बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने की बात कही गयी थी। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक क्रांतिकारी फैसले से तत्कालीन सरकार को जगाया। न्यायालय ने कहा कि संविधान में “जीवन के अधिकार” का अर्थ तो तभी है जब व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला हो। इस फैसले के तहत सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देना आवश्यक था। उस समय कांग्रेस सरकार ने सैकिया कमेटी का गठन किया जिसने 1997 में संविधान में उपयुक्त बदलाव करने का सुझाव दिया।

सन् 2002 में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने संविधान में उपयुक्त बदलाव कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया। साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापकों का वेतन आदि अन्य सुविधायें के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से बचा गया। यहाँ तक की बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया गया। केन्द्र तथा राज्यों के बजट घाटे तथा अनावश्यक मुकदमों से बचाव का ध्यान में रखते हुए सरकार का यह एक सूझा-बूझ भरा निर्णय था। इस प्रकार संविधान (छियासिवा संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत में अतः स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में “निःशुल्क और अनिवार्य शब्द” सम्मिलित है। “निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कोई भी बच्चा प्रारम्भिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। एवं अनिवार्य शिक्षा से ताप्त्य है उचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारियों पर 6–14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश उपस्थिति एवं करने का बाध्यता रखती है।

सन् 2010–11 में किए गये एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 79 प्रतिशत सरकारी विद्यालय हैं, परन्तु सरकारी विद्यालयों में अधिक खर्च, अच्छी सुविधाओं तथा अध्यापकों के अच्छे वेतनमान के बावजूद निजी विद्यालयों की तुलना में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। गाँवों में सरकारी विद्यालय होने के बावजूद माता-पिता बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाना पसन्द करते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा अधिकार कानून में प्रावधान किया गया है कि देश में सभी को समान शिक्षा मिले (ब्डडक्ष “ब्लक्स”<sup>लैज़र्ड</sup>)। आज देश में ऐसे विद्यालयों की कोई कमी नहीं है जहाँ आधुनिक शिक्षा के लिए 5 से 7 लाख रुपये सलाना फीस लेते हैं। इनमें बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके लिए सरकार उन्हें प्रति बच्चा 1900 रुपये तक का सलाना मदद भी करेगी।

1. प्रारम्भिक शिक्षा का पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों का अधिकार
2. यह गैर-प्रवेश दिये गये बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किये जाने का प्रावधान करता है।
3. यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्यों एवं दायित्वों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है।

4. यह अन्यों के साथ—साथ, छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर), स्कूल के कार्य दिवस शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदण्डों एवं मानकों को निर्धारित करता है।
  5. यह प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है अर्थात् अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्याताओं के साथ अध्यापक।
  6. यह (क) शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न, (ख) बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियों, (ग) प्रति व्यक्ति शुल्क (घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और (ड) बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना, निषिद्ध करता है।
- यह संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है आर टी ई अधिनियम लागू होने के पश्चात भी सही क्रियान्वयन न होने का कारण—
- 1— इसके दिशा—निर्देशों के संबंध में अधिकांश माता—पिता को जानकारी नहीं होने के कारण वे अपने बच्चों के लिए अधिकारों की मांग नहीं कर पाते।
  - 2— अनेक विद्यालय मानते हैं कि आरटीई के अन्तर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालयों के परिणाम का स्तर, गिर जायेग, अतः वे इन बच्चों के प्रवेश का हतोत्साहित करते हैं।
  - 3— सरकार स्कूलों की समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करती अतः स्कूल प्रशासन इन बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है।
  - 4— इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई मजदूर शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं है।
  - 5— इस अधिनियम के अन्तर्गत सीमान्त वर्गों जैसे एल0जी0बी0टी0, विकलांगों, अनाथों भिखारियों आदि के बच्चों के लिए पृथक प्रावधान नहीं किया गया है।

### **सुझाव—**

1. हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया प्रसिद्ध व्यक्तियों स्थानीय जनप्रतिनिधि, सिविल सोसायटी आदि को शामिल करना चाहिए।
- 2— स्कूलों की समुचित निगरानी करनी चाहिए एवं समय—समय पर इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वयन की रिपोर्ट लेना चाहिए।
- 3— अध्ययन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की महत्व देना चाहिए।
- 5— 25 प्रतिशत कोटा का पालन न करने पर कड़े दण्ड का प्रावधान करना चाहिए।

सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन हेतु अग्रसक्रिय नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए स्कूलों को विश्वास में लेना समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करना भी आवश्यक है। इस प्रकार सरकार वंचितों एवं गरीबों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित कर सकती है।